



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2518 वर्ष 2024

विदेश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कमलाकर पाल, शिव कुमार पाल

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री राजेश शर्मा (ए.ओ.आर. ए/आर 0400/2012), जो श्री कमलाकर पाल, विद्वान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तथा श्री आर.एस. उमराव, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, राज्य के पक्ष में, को सुना गया।
2. पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा एक संयुक्त बयान प्रस्तुत किया गया कि वे कोई हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 2017 में उप निरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के विरुद्ध दुराचार के आरोप में शिकायत दर्ज होने के कारण उनके विरुद्ध प्रारंभिक जांच की गई, उन्हें 04.05.2022 को निलंबित किया गया, और उनके विरुद्ध आरोपपत्र जारी किया गया। इसके पश्चात जांच अधिकारी ने 20.12.2022 को अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत की जिसमें आरोप प्रमाणित पाए गए और उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1991 की धारा 4(1)(क) के तहत बर्खास्तगी की सजा देने की सिफारिश की। 23.12.2022 को प्रतिवेदन के साथ याचिकाकर्ता को कारण बताओ सूचना जारी की गई, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, 13.01.2023 को याचिकाकर्ता की सेवाओं से छूट देने का आदेश पारित किया गया। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने 13/14.01.2023

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को अतिरिक्त निदेशक, पुलिस, मेरठ ज़ोन, मेरठ के समक्ष अपील की, जो 27.04.2023 को खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता ने 17.05.2023 को पुनरीक्षण किया, जिसे 13.09.2023 को अस्वीकृत कर दिया गया।

4. उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई दुराचार नहीं किया है, जो आरोपपत्र जारी करने और विभागीय कार्यवाही आयोजित करने के लिए पर्याप्त हो, जिसका परिणाम आक्षेपित आदेशों में हुआ। आगे प्रस्तुत किया गया कि संपूर्ण अनुशासनात्मक कार्यवाही याचिकाकर्ता के विरुद्ध पूरी तरह से पीछे से आयोजित की गई, जो 1991 के नियमों में निहित प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन है। हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, जो मूल और मौलिक विषय मामले की जड़ तक जाता है और संपूर्ण जांच कार्यवाही को प्रभावित करता है, वह यह तथ्य है कि जांच अधिकारी ने अपनी 20.12.2022 की प्रतिवेदन में न केवल याचिकाकर्ता को उक्त आरोपों में दोषी ठहराया, बल्कि 1991 के नियमों के नियम 4(1)(क)(i) के तहत बर्खास्तगी की सजा का प्रस्ताव भी किया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतिकरण है कि सजा का प्रस्ताव देना जांच अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता; जांच अधिकारी का कार्य केवल यह निर्धारित करना है कि आरोपपत्र में दिए गए आरोप प्रमाणित हुए या नहीं और बाकी का निर्णय अनुशासनात्मक प्राधिकरण को अपनी विवेकाधिकारिता का प्रयोग करते हुए करना होता है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **उत्तरांचल राज्य बनाम खड़क सिंह, 2008 (8) एस सी सी 236** तथा इस न्यायालय की समवर्ती पीठ द्वारा रिट - ए संख्या 19952/2019, **मोहम्मद मियाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**, दिनांक 21.08.2025 में पारित आदेश पर निर्भर रहने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश रद्द किए जाएँ और मामला पुनः अधिकार क्षेत्र में भेजा जाए ताकि कानून के अनुसार पुनः कार्यवाही की जा सके।

6. श्री आर.एस. उमराव, विद्वान अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जांच कार्यवाही नियमों के अनुसार आयोजित की गई और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को जांच कार्यवाही में भाग लेने का उचित अवसर प्रदान किया गया और जांच अधिकारी ने आरोपों को प्रमाणित पाए जाने के पश्चात अपनी प्रतिवेदन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत की, तथापि उन्होंने प्रस्तुत किया कि सजा का प्रस्ताव देना जांच अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

7. मैंने बार में प्रस्तुत की गई दलीलों को सुना और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

8. प्रकट रूप से, याचिकाकर्ता को 11.03.2022 को आरोपत्र जारी किया गया। एक प्रारंभिक जांच स्थापित की गई, उसके पश्चात नियमित जांच आयोजित की गई और 20.12.2020 को जांच अधिकारी ने अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत की जिसमें याचिकाकर्ता/अपराधी को दोषी पाया गया और निम्नलिखित अवलोकन किया गया:-

"अतएव उपरोक्त अभिलिखित कथनों पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखतेहुये मैं पीठासीन अधिकारी निलम्बित उपनिरीक्षक श्री विदेश कुमार उपनिरीक्षक श्री विदेश कुमार का उ०प्र० पुलिस में उपनिरीक्षक के पद पर सेवायोजन शून्य मानते हुए उनको कपट एवं छल पूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर अनैतिक लाभ प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से तथ्यों को छिपाकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उ०प्र० पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक के पद पर सेवायोजन प्राप्त करने का पूर्णतः दोषी पाता हूँ। आरोपी निलम्बित उपनिरीक्षक ना०पु० पीएनओ-152281854 श्री विदेश कुमार को उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 4 दण्ड- (1) (क) दीर्घशास्तियां (एक) के अन्तर्गत पदच्युत किये जाने संस्तुति करता हूँ।

साथ ही मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 5960/2022 मेंपारित आदेश दिनांकित 18.05.22 एवं 27.05.22 के समादर उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम 14 (1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही के मध्य प्रेषित आरोप पत्र दिनांकित 11.03.2022 के सम्बन्ध में दोष सिद्ध होने पर दण्डित किये जाने का निर्णय लेने का अधिकार पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर के प्राधिकारी को हैं। अतः यह निर्णय सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त प्रभावी होगा।"

9. अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर, उसे स्वीकार करते हुए, 13.01.2023 के आदेश के द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त किया, जिसके विरुद्ध अपील की गई जो 27.04.2013 को खारिज हुई और 13.09.2023 को पुनरीक्षण अस्वीकार किया गया। वस्तुतः, याचिकाकर्ता की सेवाएँ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों (अनुशासनात्मक अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और अपील) नियम, 1991 के प्रावधानों के अधीन हैं। नियम 14 निम्नानुसार है: -

"14(1) विभागीय कार्यवाही संचालित करने की प्रक्रिया- (1) इन नियमों में सम्मिलित प्रावधानों के अधीन, उप-नियम (1) के नियम 5 में उल्लिखित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही परिशिष्ट-1 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकती है।"

10. परिशिष्ट-1, जो पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की प्रक्रिया से संबंधित है, निम्नानुसार है:-

परिशिष्ट-1

पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की प्रक्रिया

एक औपचारिक जांच प्रारंभ होने पर, उस पुलिस अधिकारी को जिसके विरुद्ध जांच प्रारंभ की गई है, लिखित रूप में उन आधारों से अवगत कराया जाएगा जिन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और उसे अपने बचाव के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

जिन आधारों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, उन्हें निश्चित आरोप के रूप में उपयोग किया जाएगा, जैसा कि इन नियमों के प्रपत्र 1 में संलग्न है, जिसे आरोपित पुलिस अधिकारी को सूचित किया जाएगा और यह पर्याप्त स्पष्ट एवं सटीक होगा ताकि आरोपित पुलिस अधिकारी को उसके विरुद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का पर्याप्त संकेत मिल सके। उसे एक उचित समय के भीतर अपने बचाव का लिखित विवरण प्रस्तुत करने और यह बताने के लिए कहा जाएगा कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है।

यदि वह ऐसा चाहता है, या यदि जांच अधिकारी ऐसा निर्देश देता है, तो उन आरोपों के संबंध में मौखिक जांच आयोजित की जाएगी जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। उस जांच में वह मौखिक साक्ष्य अभिलेखित किए जाएंगे जिन्हें जांच अधिकारी आवश्यक समझता है। आरोपित पुलिस अधिकारी को गवाहों से प्रश्न पूछने, स्वयं साक्ष्य देने और अपनी इच्छा के अनुसार गवाहों को बुलवाने का अधिकार होगा। सभी साक्ष्य और अभिलेखित दस्तावेज उचित रूप से अभिलेखित किए जाएंगे।

शर्त यह है कि जांच अधिकारी पर्याप्त कारणों के लिए, जिन्हें लिखित रूप में अभिलेखित किया जाएगा, किसी गवाह को बुलाने से इंकार कर सकता है। कार्यवाही में साक्ष्यों और निष्कर्षों के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विवरण तथा उनके आधार का पर्याप्त अभिलेख अभिलेखित किया जाएगा। जांच अधिकारी इन कार्यवाहियों से पृथक रूप से आरोपित पुलिस अधिकारी पर लगाई जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में अपनी सिफारिश भी प्रस्तुत कर सकता है।"

11. ए न्यायिक अभिलेखों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जांच अधिकारी ने आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने की उत्सुकता में अपनी अधिकार सीमा से अधिक जाकर दंड प्रस्तावित किया, वह भी 1991 के नियमों के प्रावधानों, अर्थात् नियम 4(1)(क)(i) का संदर्भ देते हुए। निश्चित रूप से, जांच अधिकारी को सौंपा गया कार्य केवल जांच कार्यवाही करना और यह अभिलेखित करना है कि आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं, और दंड आदेश पारित करना विभिन्न दंड विकल्पों के संदर्भ में विद्वान अनुशासनिक प्राधिकारी का विशेषाधिकार और अधिकार क्षेत्र है। **उत्तरांचल राज्य बनाम खरक सिंह (उपरोक्त)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"18. ... यद्यपि जांच अधिकारी द्वारा अपने विचार प्रकट करने में कोई विशेष रोक नहीं है, तथापि, प्रकरण में, जांच अधिकारी ने अपनी सीमा से अधिक जाकर कहा कि अधिकारी को सरकारी सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए।"

12. आगे, **मोहम्मद मियां (उपरोक्त)** में, इस न्यायालय की समवर्ती पीठ ने निम्नलिखित अवलोकन किया:-

"14. यह सिद्ध कानूनी सिद्धांत है कि जब विधि किसी कार्य को विशेष प्रकार से करने का प्रावधान करती है, (कृष्णा राय बनाम बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अन्य (2022) 8 एस सी सी 713) में तो उसे केवल उसी प्रकार किया जाना चाहिए।

15. इस प्रकार, मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार, आरोपपत्रक अधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के लिए प्रस्तावित दंड तथा 'काम न करने पर वेतन नहीं' के सिद्धांत पर वेतन अस्वीकृत करने की सिफारिश को अनुमोदित नहीं किया जा सकता। प्रतिवेदन को भी रद्द किया जाना आवश्यक है, तथा इसके साथ-साथ याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का परिणामस्वरूप आदेश, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश और पुनरीक्षण में बैठे प्राधिकारी का आदेश भी रद्द किया जाना योग्य है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. चूँकि उक्त विसंगति मामले की जड़ तक जाती है, जो पूरी कार्यवाही को असंवैधानिक बनाती है, अतः न्यायालय की दृष्टि में, आरोपपत्रक अधिकारी के लिए उस संबंध में दंड प्रस्तावित करना उचित या न्यायसंगत नहीं है।

14. अतः यह रिट याचिका सफल होती है और स्वीकृत की जाती है। दिनांक 13.01.2023, 27.04.2023 और 13.09.2023 के आदेश रद्द किए जाते हैं।

15. यह मामला अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास पुनः भेजा जाता है ताकि मामले में आरोपपत्रक अधिकारी को नियुक्त कर, नए सिरे से जांच प्रतिवेदन तैयार कराया जा सके, जो पूर्व में जांच कर चुके अधिकारी से भिन्न हो। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने के दो माह के भीतर जांच आरंभ की जाएगी। याचिकाकर्ता जांच में भाग लेगा। जांच याचिकाकर्ता द्वारा पहले प्रस्तुत उत्तर के चरण से शुरू होगी और जांच प्रतिवेदन अधिकतम दो माह की अवधि में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पश्चात अनुशासनात्मक प्राधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए मामले में उचित निर्णय लेने के लिए एक माह की अवधि में कार्यवाही पूरी करेगा। इस बीच याचिकाकर्ता की स्थिति उसी प्रकार बनी रहेगी जैसी अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दंड आदेश पारित करने के समय थी।

जनवरी 19, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।